

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 फरवरी 2017—माघ 19, शक 1938

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्र. एफ. 16-01-2017-दस-2.—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जैव विविधता नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 9 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

No. F-16-01-2017-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003), the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 9, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(2) Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Forest Department.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.